संख्या भा0स0-170/14-2-2016-800(27)/2016

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 29 अगस्त, 2016

विषय- सहारनपुर में बी0एस0एन0एल0 द्वारा मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज किमी0 02 में फंदपुरी पुलिस चौकी किमी0 14 तक बायीं पटरी एवं अम्बेहटा गांव टी प्वाइंट किमी0 31.1 से बिराखारी गांव टी प्वाइंट किमी0 39.4 तक सहारनपुर नकुड़ गंगोह रोड तक ओ0एफ0सी0 डालने हेतु 0.9135 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अंतर्गत प्रस्ताव की स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-2186/11सी, दिनांक 13-4-2016, एवं भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/09/62/2016/209,दिनांक 01-8-2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त पत्र दिनांक 01-8-2016 के माध्यम से अपने पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश संख्या- 11-9/98-एफसी, दिनांक 13-2-2014 के अनुसार राज्य सरकार को सहारनपुर में बी0एस0एन0एल0 द्वारा मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज किमी0 02 में फंदपुरी पुलिस चौकी किमी0 14 तक बायीं पटरी एवं अम्बेहटा गांव टी प्वाइंट किमी0 31.1 से बिराखारी गांव टी प्वाइंट किमी0 39.4 तक सहारनपुर नकुड़ गंगोह रोड तक ओ0एफ0सी0 डालने हेतु 0.9135 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में निर्णय लेने हेतु निर्देश दिया गया है।

3- अत भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र दिनांक 01-8-2016 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में विषयगत प्रकरण की सामान्य स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

(1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष् का पातन नहीं किया जायेगा।
(2) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।
(3) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मीटर गहरी एवं 0.100 मीटर चौडी से अधिक न होगी।
(4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
(5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(14) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

2- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-भा0स0-170/14-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।

(2)- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

(3)- जिलाधिकारी, सहारनपुर।

(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,सहारनपुर।

(5)- मण्डलीय अभियंता, दूर संचार परियोजना, भारत संचार निगम लि0,मेरठ।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव

shasanadesh.up.nic.in/gointra